कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / मा–स / ELC/2021-22 दिनांक : .08.2023

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा / नोडल अधिकारी
(मतदाता एवं SVEEP कार्यक्रम)

विशय :– आगामी विधानसभा चुनाव के सन्दर्भ में विद्यालय स्तर पर निर्वाचन साक्षरता क्लब (ELC) के माध्यम से मतदाता जागरूकता गतिविधियों के बाबत।

प्रसंग :– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, जयपुर का पत्र क्रमांक : एफ. 4(3)(3)स्वीप / निर्वा. / सोशल मीडिया / 2022 / 3502 जयपुर दिनांक : 03.08.2023

सन्दर्भ :– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक : 18.04.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि सन्दर्भित पत्र दिनांक : 18.04.2023 द्वारा आपको मतदाता शिक्षा एवं SVEEP कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु निर्देशानुसार शिक्षा विभाग की ओर से जिला नोड्ल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त क्रम में प्रासंगिक पत्रानुसार लेख है कि आगामी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मतदाता जागरूकता की विभिन्न गतिविधियों का सम्पादन किया जा रहा हैं। जैसा कि विदित है वर्तमान में EVM/VVPAT के लिए Demonstration Compaingn भी संचालित किये जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम निर्देशानुसार अब 17 + आयुवर्ग के मतदाता भी मतदाता पंजीयन हेतु पात्र हैं। मतदाता जागरूकता को गति देने तथा ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु कुल 21 विभागों के साथ Convergence किया गया है, जिसमें शिक्षा विभाग भी सम्मिलित किया गया है। इसी क्रम में स्कूल शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न कार्य यथा 17 + आयुवर्ग के विद्यार्थियों की सूची विद्यालय शाला दर्पण लॉइन पर उपलब्ध करवा दी गई है। विद्यालय स्तर पर निर्वाचन क्लब (ELC) भावी मतदाता (कक्षा 9–12) गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त समय–समय पर विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय स्तर पर क्लस्टर कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है।

उल्लिखितानुसार प्रासंगिक पत्र संलग्न प्रेषित कर लेख है कि जिला नोडल अधिकारी के रूप में मतदाता शिक्षा और SVEEP कार्यक्रम के अन्तर्गत आगामी विधानसभा चुनाव के सन्दर्भ में विद्यालय स्तर पर निर्वाचन क्लब के माध्यम से मतदाता जागरूकता गतिविधियों का आयोजन करवाया जाकर प्रासंगिक पत्र में वर्णित निर्देशों (बिन्दुवार गतिविधियों) एवं उक्त बाबत भविष्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न : यथोक्त।

(काना राम)
आइ.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.08.09 2?:44:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4473732

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सहायक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, जयपुर।
2. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाते हुए समस्त सम्बन्धितों को ई–मेल प्रेषित करने बाबत।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक / प्रारम्भिक।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
6. समस्त पीईईओ / यूसीईईओ।
7. समस्त संस्था–प्रधान।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.08.09 2?:44:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4473732

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा–स/ELC/2021-22 दिनांक : 18.04.2023

Chief Electoral Officer &
Ex-Officio Principal Secretary
Election Department Government
of Rajasthan.

विषय :– मतदाता शिक्षा एवं SVEEP कार्यक्रम के क्रम में।

प्रसंग :– आपका D.o.No. F.4(3)(3)SVEEP/ELEC/2020/1260 Dated : 27-03-2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके प्रासंगिक अर्द्ध शासकीय पत्र के क्रम में निवेदन है कि मतदाता शिक्षा एवं SVEEP कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्यक्रम के सफल संचालन एवं प्रभावी क्रियान्विति हेतु राज्य स्तर पर अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को एवं जिला स्तर पर समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को उक्त कार्यक्रम हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

(गौरव अग्रवाल)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर एवं राज्य नोडल अधिकारी को यथावश्यक कार्यवाही हेतु।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को जिला नोडल अधिकारी के पदीय दायित्व निर्वाहन हेतु।
3. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
6. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

90 R.D. 07-08/23 गुणवत्ता (मा-स)

4/8/23

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः एफ.4(3)(3)स्वीप/निर्वा/सोशल मीडिया/2022/3502 जयपुर, दिनांक : 03/08/2023

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

प्रेषित : निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा बीकानेर

विषय : आगामी विधानसभा चुनाव के सन्दर्भ में विद्यालय स्तर पर निर्वाचन साक्षरता क्लब (ELC) के माध्यम से मतदाता जागरूकता गतिविधियों के बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तगत लेख है कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मतदाता जागरूकता की विभिन्न गतिविधिया संपादित की जा रही है। जैसा कि आपको विदित है वर्तमान मे EVM/VVPAT के लिए Demonstration Compaingn भी संचालित किये जा रहे है। भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम निर्देशो के अनुरूप अब 17+ मतदाता भी मतदाता पंजीयन हेतु पात्र हैं।

निर्वाचन विभाग द्वारा मतदता जागरूकता को गति देने तथा ज्यादा से ज्यादा मतदाताओ तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु कुल 21 विभागो के साथ Convergence किया गया है जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग भी सम्मिलित है।

इस संबंध में स्कूल शिक्षा से संबंधित विभिन्न कार्य यथा 17+ छात्र/छात्राओ की सूची विद्यालय शाला दर्पण लॉगइन पर उपलब्ध करवा दी गई है। इसके साथ ही विद्यालय स्तर पर निर्वाचन साक्षरता क्लब (ELC) भावी मतदाता (कक्षा 9–12) के लिए संचालित है। समय–समय पर विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में विद्यालय स्तर पर क्लस्टर कैम्प का आयोजन किया जाता है।

राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में प्रत्येक विद्यालय स्तर पर विशेष कार्य योजना की क्रियान्विती अत्यावश्यक है जिससे हमारा कोई भी मतदाता छूटे नही। इस दिशा में आपके स्तर पर निम्नांकित कार्य अपेक्षित है।

- प्रत्यकें विद्यालय के प्रधानाचार्य को शाला दर्पण लॉगइन से 17+ विद्यालय की सूची लेकर मतदाता पंजीकरण हेतु पाबन्द करें। प्रवेशोत्सव उपरान्त दिनांक 15.08.2023 तक प्रत्येक प्रधानाचार्य से समस्त 17+ छात्र/छात्राओ के मतदाता पंजीकरण हो जाने का प्रमाण पत्र प्राप्त करे तथा निर्वाचन विभाग को अवगत करावे।
- प्रत्येक विद्यालय में शनिवार को नो बेग डे के दिन मतदाता जागरूकता गतिविधि यथा कविता गायन, पोस्टर, निबंध, स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन करवाये।
- विद्यालयो में प्रत्येक शनिवार को मतदाता जागरूकता प्रभात फेरी का आयोजन करवाये।
- यदि विद्यालय स्तर पर स्कूल बस/ऑटो आदि यातायात हो तो उस पर मतदाता जागरूकता के लिए पोस्टर स्लोगन आदि लगवाना सुनिश्चित करें।
- समस्त दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का विद्यार्थियो तक पहुँच सुनिश्चित करना व उनके माध्यम से परिवार/समुदाय तक प्रचार–प्रसार।
- जिला निर्वाचन अधिकारी से समन्वय कर VHA, SAKSHAM, c-Vigil, KYC APP का प्रशिक्षण करवाना।
- जिला निर्वाचन अधिकारी से समन्वय कर EVM-VVPAT का Hands-on प्रशिक्षण करवाना।
- जिला निर्वाचन अधिकारी से समन्वय कर NCC/NSS/Scout & Guide Volunteer का चयन और उनका प्रशिक्षण करवाना।
- प्रार्थना सभा में मतदाता शपथ दिलवाना तथा विधार्थियो के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा अभिभावको को मतदान के लिए प्रेरित करना।
- मैं भारत हूँ गीत को प्रति सप्ताह 2 वार (शनिवार सहित) प्रार्थना सभा में विद्यार्थियो को सुनाना सुनिश्चित करें।
- विद्यालय में ELC प्रभारी के माध्यम से क्रियाशील ELC सुनिश्चित करे। तथा उपरोक्त समस्त गतिविधियो का संचालन ELC के माध्यम से करवायें।
- प्रत्यक जिले के ELC Nodal अधिकारी को उक्त कार्यो के सम्पादन तथा प्रभावी मोनीटरिंग के लिए पाबन्द करें।
- प्रत्येक जिले के ELC नोडल अधिकारी द्वारा अपने जिले के समस्त स्कूल ELC प्रभारी (लीड ELC समेत) का Whatsapp group का गठन करना तथा इस माध्यम को समस्त प्रकार की मतदाता जागरूकता सामग्री के प्रचार प्रसार के लिए प्रयुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।

Rajasthan Education Department

- ELC राज्य समन्वयक को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक जिले का व्हाटसप ग्रुप बनवाये जिससे निर्वाचन विभाग द्वारा समय–समय पर वांछित सूचना/कार्य का त्वरित निस्तारण किया जा सके और उनसे अद्यतन सूचना हेतु सम्पर्क किया जा सके।
- विद्यालयो में विद्यालय तक समस्त सूचना संप्रेषण के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा निर्धारित निम्नांकित सूचना तंत्र अनुसार कार्य करवाना

निर्वाचन विभाग

⇩

राज्य ELC समन्वयक
(स्कूल)

⇩

जिला ELC नोडल अधिकारी
(स्कूल)

⇩

लीड ELC प्रभारी

⇩

ELC प्रभारी

- आगामी समय में समय–समय पर आयोज्य वेबिनार में निर्देशानुसार (जिला/स्कूल) ELC प्रभारी की उपस्थिति सुनिश्चित करावे।
- चुनाव कार्य की सवेदनशीलता देखने हुए उक्त समस्त कार्यो को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संबंधित अधिकारियों को पाबन्द करे।
- विभाग द्वारा नामित जिला नोडल प्रभारी (स्कूल) की अद्यतन सूचि (यदि पद रिक्त है तो कार्यभार सभालने वाले व्यक्ति) तथा School Education Special Educators की अद्यतन सूची तीन कार्य दिवस में निर्वाचन विभाग को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से निर्वाचन विभाग को अवगत करवायें। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए श्रीमती शिखा सोनी, स्वीप सलाहकार, निर्वाचन विभाग से फोन नम्बर 9214340035 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

भवदीय,

(प्रवीण गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान

राजस्थान क्रमांकः एफ.4(3)(3)स्वीप/निर्वा/सोशल मीडिया/2022/3502 जयपुर, दिनांक : 03/08/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजकर लेख है कि आपके जिले में ELC नोडल अधिकारी (स्कूल) से समन्वयन करते हुए प्रत्येक D-AERO को उक्त कार्यों की पालना हेतु पाबन्द करें।

अति. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान